e-mail
By Regd.Post

पत्रांक–20 / चि०प्र०–09 (मु०)–01 / 2019सा०प्र०–3218 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 8 मार्च, 2019.

विषय – राज्य सरकार के कर्मियों के द्वारा राज्य से बाहर करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग – विभागीय पत्रांक–20 / चि०प्र०–09(मु०)–01 / 2019 सा०प्र०–1907 दिनांक 11.02.2019.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र की कंडिका–2 में चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति पर विचार करने के लिए अभिलेखों की जाँच हेतु क्रम संख्या –6 पर अकिंत किया गया है कि " **आश्रित होने की स्थिति में शपथ–पत्र मूलरुप में हो**" के स्थान पर " **आश्रित होने की स्थिति में घोषणा–पत्र (Declaration) मूलरुप में हो**" को प्रतिस्थापित किया जाता है। उक्त प्रसंगाधीन पत्र की कंडिका–2 के शेष शर्त्ते यथावत रहेगे।

अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों / पदाधिकारियों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भेजते समय तद्नुसार अभिलेखों की जाँच किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम) 8/3/19
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या–20 / चि०प्र०–09(मु०)–01 / 2019सा०प्र०–3218 पटना, दिनांक 8-3-19

प्रतिलिपि – सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 8/3/19
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या–20 / चि०प्र०–09 (मु०)– 01 / 2019सा०प्र०–3218 पटना, दिनांक 8-3-19

प्रतिलिपि – आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधित पदाधिकारी के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 8/3/19
सरकार के अपर सचिव।

my doc. draft sec.-10/20 us